

(91)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट-IV

जयपुर दिनांक 4 MAY 2015

परिपत्र

विषय :- टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में 5 प्रतिशत क्षेत्रफल सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.02.2013 जारी किया गया था, जिसमें बिन्दु सं. 2 पर ग्रुप हाउसिंग (फ्लैटेड डवलपमेन्ट) की योजनाओं में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार हेतु योजना क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल निःशुल्क समर्पित किये जाने की स्थिति में टाउनशिप पॉलिसी के तहत विकासकर्ता से निःशुल्क प्राप्त की जाने वाली 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र में समानुपात में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

अनेक प्रकरणों में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार के अलावा नाले आदि के लिए खातेदारी की भूमि निर्माण निषेद्ध होने के कारण विकासकर्ता को छोड़नी पड़ती है, अतः उपरोक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुये बिन्दु सं. 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“ग्रुप हाउसिंग (फ्लैटेड डवलपमेन्ट) की योजनाओं में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार, नाले, नहर तथा वॉटर बॉडी की भूमि हेतु 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की भूमि विकासकर्ता के द्वारा यदि निःशुल्क समर्पित की जावे अथवा निर्माण निषेद्ध होने पर ऐसी योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रफल सुविधाओं हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे तो इस स्थिति में इस प्रावधान में समानुपात में छूट दी जायेगी। उदाहरणार्थ - किसी फ्लैटेड डवलपमेन्ट की योजनाओं में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार/नाले/नहर/वॉटर बॉडी की भूमि हेतु 12 प्रतिशत क्षेत्र छोड़ा जाता है तो सुविधा क्षेत्र हेतु 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत क्षेत्रफल ही नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित करना होगा।”

कार्य

संख्या

दिनांक

1594

5/5/15

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
 2. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
 3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
 5. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
 6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।